

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30/12/2013

कार्यालय जापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री डॉ. लाल चौरासिया का आवेदन।

अधीनस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री डॉ. लाल चौरासिया के दिनांक 20/12/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरण द्वारा दिनांक 25/12/2013 को प्राप्त) को डी. एम. प्रभाग को अयोचित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अयोचित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 26/12/2013 की रसीद सं. 27742 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न) नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

वी.के. राजन
(वी.के. राजन)

उप सचिव (स्था.) एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में

निदेशक (डी.एम.)

गृह मंत्रालय, एन.डी. सी. सी. नो. भवन
जयसिंह रोड, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री डॉ. लाल चौरासिया

SSA/क (245 बी-1, साज्जाद नगर

डॉ. लाल चौरासिया, लखनऊ-226005

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6
(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i))

रसीद / RECEIPT

27742

सं. /No.

श्री/श्रीमती/सुश्री

Received From Shri/Smt./Km.

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ

with Letter No./Reference No.

बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या

Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No.

के रूप में रुपये की नकद धनराशि

the sum of Rupees by Cash

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।

on account of fee under Right to Information Act 2005.

दिनांक 20

Dated 21/12/2015

के दिनांक 20

Dated 20

आधिकार /Initials

रुपये / Rs.

पदनाम / Designation

राष्ट्रीय पान किसान यूनियन

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

स्थानीय कार्यालय : 551 कं/245 पी-1, आजादनगर, आलमबाग, लखनऊ-226005

Mob. : 7376300008, 9453155412 E-mail : chottelalchaurasia50@gmail.com, chaurasia.satya@gmail.com

पत्रांक ...36...

27/11/2013
30/12/13

दिनांक 28/12/2013

सेवा में

सहायक जनसूचनाधिकारी

कार्यालय :- गृह मंत्रालय

भारत सरकार

नई दिल्ली - 110011

विषय :- जनसूचनाधिकार अधिनियम 2005 में किए गये प्राविधानों के अन्तर्गत सूचनाओं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में :-

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली, New Delhi
24 DEC 2013
के. र. सं. 1606

महोदय,

मैं आपके पास 20/- (बीस) रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर सं० 129 532880 30/12/13 संलग्न कर भेज रहा हूँ। मुझे पान किसानों की फसल को वैश्व आपदा से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति विषयक कार्ययोजना सूचनाओं की आवश्यकता है।

- (1) पान सहित सभी वारहमासी फसलों की क्षति की दशा में क्षतिपूर्ति हेतु - एस. डी. आर. स्फ/ एस. डी. आर. स्फ दिशा निर्देशों में क्या व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, इसकी प्रति।
- (2) एस. डी. आर. स्फ/ एस. डी. आर. स्फ दिशा निर्देशों में पान फसल के लिये विशेष चैकेज की व्यवस्था शामिल करने के सम्बन्ध में मा० सांख्य (कारकर्म)। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली की संस्तुति दि० 03-12-2012 पर क्या कार्यवाही की गई? संलग्न-उक्त 03 (तीन)

भवदीय

चौ. (छोटेलाल और सं. 20)
महसचिव

Dir (DM-I)

तथ्यात्मक स्थिति का सार

वर्तमान में, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ दिशानिर्देशों में यह निर्धारण है कि पान सहित सभी बारहमासी फसलों वर्तमान मानदण्डों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के में प्रति हैक्टेयर 8000/-रूपये की क्षतिपूर्ति की पात्र होंगी।

चूँकि एनडीआरएफ/एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में विशिष्ट मदों को शामिल किए जाने का कार्य गृहमंत्रालय द्वारा किया जाता है अतः आपके प्रस्ताव को विचारार्थ गृह मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया है।

No.40-2/2014-NDM-I
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Disaster Management Division)

Hall-'B', 3rd Floor, NDCC-II Building,
Jai Singh Road, Opp. Jantar Market
Dated, the 22nd January, 2014

25 JAN 2014

To,

Shri Chotelal Chourasia,
551 K/245 B-1, Azad Nagar,
Aalambag,
Lucknow-226005. (U.P)

Sub :- **Information under Right to Information Act, 2005.**

Sir,

Please refer to your RTI application dated 20.12.2013 forwarded by RTI Section MHA on 30th Dec, 2013 (received in NDM-I Section, MHA on 3rd January, 2014).


2. It is to inform you that, the existing norms inter-alia provide for assistance to the farmers in the form of Agriculture/horticulture input subsidy for damage caused to all types of agriculture/ horticulture crop areas including betel crops due to the notified natural calamities only (i.e. cyclone, cloud burst, drought, earthquake, tsunami, flood, hailstorm, landslides, avalanche, fire, pest attack, cold-wave/frost). Where crops loss is more than 50% and above, these assistance are provided @Rs.4,500/- per ha. for rainfed crops, Rs.9,000/- per ha. for assured irrigated crops and Rs. 12,000/- per ha. for perennial crops. Further, it is pertinent to mention that under the norms, assistance is based on the type of damaged crop area (i.e. rainfed, irrigated and perennial cropped areas-wise) rather than type of crop damaged. As such, betel crop damaged/loss due to notified calamities already stands included as one of the eligible item in the norms/crop for providing assistance from SDRF/NDRF without any discrimination. This norms is uniformly applied to all over the country for all crop damages in notified natural calamities without discrimination between any crops etc. in accordance with the approved items & norms of assistance. The concerned State Government is required to provide immediate relief to the famers whose betel crops have been affected by natural calamities from the SDRF/NDRF in conformity with the approved items & norms of assistance, in accordance with the magnitude of the ground situation. The Items & Norms and guidelines relating to both the funds are available on the Ministry of Home Affairs website: www.ndmindia.nic.in.

3. This position has already been communicated to the Hon'ble Chairman, National Commission for Scheduled Castes on 17th January, 2014.

4. If you are not satisfied with this reply, you may prefer an appeal under Section 19 (1) of the RTI Act, 2005 within thirty days from its receipt to

Shri R.K.Srivastava, Joint Secretary/Appellate Authority,
DM Division, Ministry of Home Affairs,
Hall-'B', 3rd Floor, NDCC-II Building,
Jai Singh Road, New Delhi-110001.

Yours faithfully



(Goutam Ghoshal)

Deputy Secretary & CPIC (DM-I)
Telefax: 23438123

Copy for information to:-

RTI Section (Shri V.K.Rajan, Deputy Secretary (E) & CPIO), North Block, New Delhi-(with their OM No. A-43020/01/2013-NDM-I dated 30th December, 2013).